सं. के-14012/101(6)/2015-एससीएम-III-V

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

स्मार्ट सिटीज प्रभाग-III

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 27 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः वैयक्तिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रशिक्षण संस्था तथा राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित किया जाने वाला समझौता ज्ञापन (एमओयू)

अधोहस्ताक्षरी को अमृत दिशानिर्देशों तथा स्वीकृत एसएएपी अभिलेखों में उल्लेखित प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु संबंधित राज्य सरकार तथा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के मध्य अनुबंध में समाहित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन की प्रति प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2. वैयक्तिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त शहरी विकास मंत्रालय की जारी परियोजना, शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) के माध्यम से की जाएगी। वैयक्तिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों को शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) परियोजना (www.smartcities.gov.in पर देखा जा सकता है) के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन और सामरिक प्रशिक्षण योजना के साथ पंक्तिबद्ध किया जाएगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

27/01/16

(अजीत कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 011-23061081

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव (शहरी विकास)।
2. निदेशक, एनआईयूए, पहली तथा दूसरी मंजिल, कोर 4बी, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-3
3. निदेशक (एससी-II) और निदेशक (एससी- IV), निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. टीम लीडर, सीबीयूडी परियोजना

समझौता ज्ञापन

_____ राज्य सरकार

तथा

(प्रशिक्षण संस्था का नाम)

के बीच

1. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (यहां के आगे एमओयूडी लिखा जाएगा), ने देश भर के 500 शहरों में शहरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अटल मिशन फार रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना का आरंभ किया है। यह मिशन क्षमता निर्माण को एक आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देता है तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2. अमृत मिशन के अंग के रूप में <राज्य का नाम> की राज्य सरकार, (यहां के बाद राज्य लिखा जाएगा), शहरों के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखित विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जिनके अंतर्गत निम्न विभाग/क्षेत्र तथा विषय <उपयुक्त का नाम लिखें> पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है:
    - वित्त एवं राजस्व: राजस्व, लेखा, वित्त और बाजार/ कर विभाग
    - अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य: लोक निर्माण/वाटर वर्क्स/स्ट्रीट लाइटिंग, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बागवानी और उद्यान विभाग
    - नगर नियोजनः नगर नियोजन, भवन और शहर सर्वेक्षण, अतिक्रमण और लाइसेंस विभाग
    - प्रशासन: प्रशासन, स्थापना, कानून, पट्टे, जनसंपर्क, रिकार्ड रूम, कंप्यूटर विभाग

3. वैयक्तिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एमओयूडी की जारी परियोजना, शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) परियोजना के माध्यम से की जाएगी;

4. वैयक्तिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों को शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) परियोजना (www.smartcities.gov.in पर देखा जा सकता है) के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन और सामरिक प्रशिक्षण योजना के साथ पंक्तिबद्ध किया जाएगा;

5. इस मिशन के अंतर्गत राज्य अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार वैयक्तिक क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए एमओयूडी सूचीबद्ध एक या अधिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर सकते हैं;

6. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली (यहां के बाद एनआईयूए लिखा जाएगा) क्षमता निर्माण में एमओयूडी के रणनीतिक साझीदार है तथा अमृत मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण में सिंगल विंडो सेवाएं प्रदान करेगा।

7. उसी प्रकार से राज्य ने <प्रशिक्षण संस्था का नाम> से निम्न विषय क्षेत्रों (एमओयूडी की विषयवार सूची में सूचीबद्धता के आधार पर), जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है <निम्न एमओयूडी सूचीबद्धता के आधार पर चार विकल्पों में से चुनें>, में वैयक्तिक क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है:

- वित्त एवं राजस्व
- अभियांत्रिकी एवं जन स्वास्थ्य:
- नगर नियोजन
- प्रशासन प्रबंध

8. अमृत मिशन (यहां के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम लिखा जाएगा) के अंतर्गत वैयक्तिक क्षमता निर्माण के क्रियान्वयन हेतु संबंधित भूमिकाओं व दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए, राज्य तथा प्रशिक्षण संस्था ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया तथा निम्न बिन्दुओं पर सहमत हुए:

9. प्रशिक्षण संस्था निम्न बिन्दुओं को समाहित करने पर सहमत हुए:

(**क**) **प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन तैयार करना**

i. प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षणार्थियों के स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा उनके ज्ञान व उनकी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगी। इस उद्देश्य के लिए सीबीयूडी परियोजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन हेतु प्रश्नोत्तरी का उपयोग किया जाएगा (www.jnnurm.nic.in पर देखा जा सकता है)। स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्न अनुच्छेद 9.बी (i) में उल्लेखित पहले कैप्सूल/ओरिएंटेशन कैप्सूल के आयोजन के बाद पूर्ण की जाएगी।

ii. प्रशिक्षण संस्था समस्त प्रशिक्षणार्थियों का एनआईयूए/एमओयूडी/सीबीयूडी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डेटाबेस तैयार करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षणार्थी की प्रोफाइल, उनके वर्तमान कार्य का विवरण, उनके सुपरविजन अधिकारी का नाम व पद, उनके वर्तमान ज्ञान व दक्षताओं का स्तर, अनुच्छेद 9.बी (i) में उल्लेखित विभाग विशेष पर आधारित कैप्सूलों के लिए अपेक्षित विशिष्ट ज्ञान व अपेक्षित प्रशिक्षण विषय शामिल हैं।

iii. अधिसूचित प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों के प्रोफाइल व उनकी जरूरतों के अनुसार विभाग विशेष पर आधारित कैप्सूलों हेतु प्रशिक्षण सामग्री तथा शिक्षण उद्देश्य तैयार करना तथा एनआईयूए के परामर्श के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। (ध्यान रहे कि एनआईयूए समेकित प्रशिक्षण कार्यसूची के आधार पर सत्र-वार प्रशिक्षण परिणामों की मूल्यांकन पद्धति तैयार करेगा जिसे प्रशिक्षण शुरू होने वाली तिमाही से पहले वाली तिमाही में एनआईयूए के साथ साझा किया जाना चाहिए।)

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन

i. राज्य द्वारा निर्धारित समस्त पात्र प्रतिभागियों (एक बैच में अधिकतम 30 प्रतिभागी) के लिए अमृत मिशन के अंतिर्गत क्षमता निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए निम्न समग्र प्रशिक्षण रणनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है:

प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए कैप्सूल प्रशिक्षण*	संख्या और अवधि
ओरिएंटेशन कैप्सूल जिसमें एनआईयूए द्वारा निर्दिष्ट विषय शामिल हों	3 दिन की अवधि का 1 कार्यक्रम
प्रतिभागियों की विशेष जरूरतों के अनुसार विभाग-वार कैप्सूल	3 दिन की अवधि के 2 कार्यक्रम
****नोट: प्रत्येक प्रतिभागी 1 वर्ष में 3 दिनों के कुल 3 प्रशिक्षण कैप्सूलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।***	

ii. प्रत्येक प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों (समस्त तीन कैप्सूलों) के मध्य तीन से चार कैलेंडर माहों का अंतर होना चाहिए।

iii. राज्य द्वारा निर्धारित व निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए मिशन अवधि के दौरान एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। प्रत्येक जागरूकता कार्यक्रम में राज्य के शहरी क्षेत्र के लिए समन्वयन तथा माडलों के लिए प्रदर्शन यात्राएं तथा राज्य के भीतर या अन्य राज्य में संबद्ध परियोजनाओं के रूप में सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां शामिल की जाएंगी। अधिक संख्या में चुने हुए प्रतिनिधियों वाले राज्य अनेक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। मॉडल तथा सर्वश्रेष्ठ गतिविधियां प्रशिक्षण संस्था द्वारा राज्य व एनआईयूए के सहयोग से चिन्हित की जाएंगी। जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखन एनआईयूए द्वारा प्रदान किए गए मानक प्रारूप के अनुरूप किया जाएगा।

(ग) मूल्यांकन एवं प्रशिक्षणोपरांत सहयोग

i. प्रशिक्षण संस्था प्रत्येक कैप्सूल की समाप्ति पर शिक्षणार्थियों से प्रशिक्षणोपरांत

टिप्पणी प्राप्त करेगी, जो एनआईयूए द्वारा निर्धारित प्रारूप व पद्धति के अनुरूप होगी। इस प्रारूप में अन्य चीजों के साथ-साथ निम्न पक्ष शामिल होंगे:

1. प्रशिक्षण सुविधाओं, शिक्षण, पाठ्यक्रम तथा संकाय की गुणवत्ता तथा उपयुक्तता के बारे में टिप्पणी।
2. प्रत्येक सत्र के बाद प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण परिणामों का स्व-मूल्यांकन।
3. 3-4 माह की कार्य अवधि पूर्ण करने के बाद तथा अगले कैप्सूल की शुरुआत से पहले प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण परिणामों का स्व-मूल्यांकन।

ii. प्रशिक्षणार्थियों तथा एनआईयूए से समय-समय पर प्राप्त टिप्पणी के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संबंधित अन्य गतिविधियों में उपयुक्त बदलाव व सुधार।

iii. प्रत्येक कैप्सूल के मध्य वाली अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के सवालों के जवाब देने तथा कार्य से संबंधित ज्ञान व दक्षताओं की सुदृढ़ता के लिए के प्रत्येक बैच के लिए कोच (संकाय के प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सदस्य) की नियुक्ति करना।

iv. यूएलबी के प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए राज्य के परामर्श से यूएलबी के निर्धारित समूह को कार्य से संबंधित ज्ञान व कौशल के साथ-साथ कार्मिक/कैरियर विकास के विषय में समग्र दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए ऐसे मेंटर की नियुक्ति करना जो केन्द्रीय, राजकीय या म्यूनिसिपल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों।

v. अगला कैप्सूल आरंभ होने से पूर्व सुपरवाइजर से उनके अधीन कार्यरत प्रशिक्षणार्थियों की एनआईयूए के परामर्श द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना।

vi. यदि प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान एवं कौशल में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिखता है तो प्रशिक्षण माड्यूलों, प्रशिक्षण विधियों तथा प्रशिक्षकों में बदलाव के लिए निजी खर्च पर एक अतिरिक्त ब्रिज/रेमिडिएशन कैप्सूल का आयोजन करना। एनआईयूए मूल्यांकन एवं निगरानी के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान एवं कौशल को चिन्हित करने तथा उसे रेखांकित करते हुए न्यूनतम संभव समय में प्रशिक्षण संस्था के साथ साझा करने का प्रयास करेगा।

(घ) रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

i. राज्य तथा एनआईयूए को पारस्परिक रूप से सहमत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तथा उपरोक्त अनुच्छेद 9.ए (ii) में उल्लेखित डेटाबेस के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की त्रैमासिक रिपोर्ट सौंपना। डेटा में समय सीमा तथा अनुच्छेद 14 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक डेटा शामिल

होना चाहिए।

ii. राज्य तथा एनआईयूए को कैप्सूल-वार तथा प्रतिभागी-वार विवरण, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं व कार्य योजनाओं में होने वाले बदलावों, यदि कोई हों, के संबंध में वार्षिक प्रशिक्षण की रिपोर्ट इस प्रकार से सौंपना जिसे क्रमागत वर्ष के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में निगमित किया जा सके।

iii. राज्य तथा एनआईयूए द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचना अनुरोध के 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना।

(ङ) अन्य जिम्मेदारियां

i. क्लासरूम प्रशिक्षण के तीन कैप्सूल पूर्ण करने वाले समस्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए यूएलबी में माडलों की अध्ययन विजिट तथा लागू की गई या की जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों का आयोजन करना। प्रत्येक अध्ययन विजिट के लिए स्थल का चयन राज्य तथा एनआईयूए के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

ii. राज्य, एमओयूडी, सीबीयूडी, तथा एनआईयूए प्रतिस्पर्धी आधार पर विदेशी स्थलों पर प्रदर्शनी यात्राएं कराने के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु दानताओं तथा द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संगठनों के साथ समन्वयन स्थापित करेगा जिससे श्रेष्ठ शिक्षण परिणाम व उपलब्धियों वाले प्रशिक्षणार्थी घरेलू प्रदर्शन के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों में भाग ले सकें। ऐसी प्रदर्शनी यात्राओं के माध्यम से वे अन्य देशों में शहरी प्रबंधन से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

iii. राज्य, एमओयूडी, सीबीयूडी, तथा एनआईयूए प्रशिक्षण संस्था को देश के बाहर यात्राओं के लिए प्रतिष्ठित व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ संस्थान/संगठन के साथ साझेदारी विकसित करने में सहायता प्रदान करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार प्रदर्शन यात्राओं के दौरान विभिन्न स्थलों के भ्रमण के साथ-साथ अध्ययनकक्ष (क्लासरूम) प्रशिक्षण का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

iv. राज्य/एनआईयूए के अनुरोध के आधार पर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/परामर्शी सेवाओं का आवधिक रूप से, स्वायत्त रूप से अथवा एनआईयूए के सहयोग से यूएलबी में अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त ज्ञान व कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र/विषय को समुचित रूप से समाहित करने हेतु डिजाइन तैयार करना व आयोजित करना। यह अमृत मिशन के दिशानिर्देशों के पेज 66, अनुलग्नक 7, पैरा 9 के अनुपालन में किया जाएगा।

v. एनआईयूए द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाओं में सहभाग करना।

vi. एनआईयूए की टीमों अथवा एनआईयूए द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के उपरांत निगरानी व मूल्यांकन हेतु नियुक्त टीमों/व्यक्तियों का सहयोग करना।

10. राज्य की निम्न हेतु सहमति है:

क. अमृत मिशन के अंतर्गत गठित राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (यहां से आगे एसएमएमयू लिखा जाएगा) के माध्यम से प्रशिक्षण संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा पर्याप्त सहभगिता सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों का समयबद्ध नामांकन विवरण उपलब्ध कराना।

ख. प्रशिक्षण संस्था को एमओयू के अंतर्गत आवंटित विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु एसएमएमयू के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।

ग. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा अन्य संबंधित गतिविधियों, जैसे प्रदर्शन यात्राओं, में शामिल प्रशिक्षण संस्था तथा अन्य सभी संस्थाओं/संगठनों/एजेंसियों को समयबद्ध भुगतान में सहयोग करना।

घ. सुनिश्चित करना कि एसएमएमयू अनुच्छेद 9.डी(i) में उल्लेख के अनुसार एमआईएस में प्रविष्टि के लिए नियमित रूप से डेटाबेस को अपडेट करे तथा समेकित त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्ट एनआईयूए को सौंपे।

11. एमओयू की अवधि: एमओयू तब तक प्रभावी रहेगा या आस्तित्व में रहेगा जब तक कि पक्षों द्वारा मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में या पक्षों द्वारा पारस्परिक लिखित सहमति के आधार पर निरस्त न कर दिया जाए (अमृत के दिशा निर्देशों के अनुसार)।

12. गैर-अनन्यता: इस एमओयू में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी पक्ष को इसके समकक्ष एमओयू में प्रविष्ट करने से रोके, वो चाहे राज्य सरकार हो या प्रशिक्षण संस्था।

13. वित्तीय शर्तें:

क. प्रशिक्षण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय प्रदर्शन यात्राओं तथा कार्यशालाओं के वित्तपोषण हेतु वित्तीय शर्तें व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी), एमओयूडी के अप्रैल 2013, पृ. ll एवं 18, टूलकिट के अंतर्गत स्वीकार्य दरें (jnnurm.nic.in पर देखी जा सकती हैं)।

ख. भुगतान प्रशिक्षण आउटपुट पर निर्भर करेंगे तथा त्रैमासिक आधार पर किए जाएंगे। हालांकि, उपरोक्त अनुच्छेद 9. सी(vi) में उल्लेख के आधार पर, यदि प्रशिक्षण परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त किए गए हैं तो प्रशिक्षण संस्था को एक अतिरिक्त/सुधारात्मक कैप्सूल आयोजित करना होगा।

ग. प्रशिक्षण संस्था अपने बिल परियोजना निदेशक, सीबीयूडी परियोजना को यूएलबी/राज्य की स्वीकृति के साथ त्रैमासिक आधार पर भेज सकते हैं।

घ. समस्त बिलों में निम्न विवरण होना चाहिए:

i. उस प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि, स्थल, प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों का विवरण (नाम, पद, यूएलबी तथा संपर्क विवरण;

ii. प्रत्येक प्रशिक्षण की लागत (सीसीबीपी के अंतर्गत स्वीकृत मदों के अनुसार)

ङ. सीसीबीपी टूलकिट के अनुसार लागू शर्तें निम्न हैं:

i. प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	लागत	आवासीय (भारतीय रुपए)		गैर आवासीय (भारतीय रुपए)	
		ईआर एवं वरिष्ठ यूएलबी अधिकारी	अन्य यूएलबी स्टाफ	ईआर एवं वरिष्ठ यूएलबी अधिकारी	अन्य यूएलबी स्टाफ
1	अस्थायी आवास और/या बोर्डिंग प्रति व्यक्ति/दिन	2700	1700	300	300
2	पठन सामग्री और प्रशिक्षण किट प्रति व्यक्ति	700	700	700	700
3	मानदेय प्रति सत्र	1100	1100	1100	1100
4	अतिथि संकाय के लिए टीए* प्रति कार्यक्रम	13750	13750	13750	13750
5	प्रशिक्षण हॉल प्रभार प्रति दिन	5000	5000	5000	5000
6	साइट यात्रा/स्थानीय परिवहन प्रति कार्यक्रम	10000	10000	10000	10000
7	संस्थागत प्रभार प्रति दिन	5500	5500	5500	5500
8	फोटोकॉपी, प्रलेखन और इंटरनेट प्रभार प्रति दिन	3300	3300	3300	3300
9	प्रशासनिक प्रभार	कुल लागत का 10%	कुल लागत का 10%	कुल लागत का 10%	कुल लागत का 10%

नोटः

*यह कार्यक्रम कराने वाले प्रशिक्षण संस्थान के बाहर से आमंत्रित किए जाने वाले संकाय/ संसाधन व्यक्तिय के लिए लागू है।

इसे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए रु. 15000/- प्रति व्यक्ति प्रति कार्यक्रम तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **कोच:** कोच की लागत प्रशिक्षण कैप्सूलों की लागत में शामिल होगी।

iii. **मेंटर:** मेंटर की लागत राज्य द्वार वहन की जाएगी।

iv. राज्य/राष्ट्रीय प्रदर्शन यात्राएं:

1. राज्य सरकार के टीए/डीए नियमों के अनुसार यात्रा लागत तथा संबंधित राज्य सरकार के सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यक्रम निगरानी समिति द्वारा निर्धारित दैनिक भत्ता।
2. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदर्शन यात्राओं से संबंधित लागत राज्य द्वारा वहन की जाएगी।

v. कार्यशालाएं/संगोष्ठी/परामर्श (एमओयूडी द्वारा विशिष्ट प्रस्तावों की स्वीकृति पर):

1. इस गतिविधि के लिए अधिकतम समर्थन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

राष्ट्रीय कार्यशाला	प्रति कार्यक्रम भारतीय रुपये 5 लाख
क्षेत्रीय कार्यशाला	प्रति कार्यक्रम भारतीय रुपये 3 लाख
राज्य स्तरीय कार्यशाला	प्रति कार्यक्रम भारतीय रुपये 2 लाख

2. बाहरी संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ: रू. 50,000/- प्रति कार्यशाला जिसमें यात्रा लागत, रहने, खाने तथा अन्य भत्ते शामिल हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए तथा विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के लिए यह धनराशि रु. 75,000/- होगी।

vi. **अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यात्राएं:** अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यात्राओं के लिए भुगतान प्रत्येक अध्ययन यात्रा के लिए प्रस्ताव के आधार पर तथा एमओयूडी द्वारा स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।

14. अपेक्षित समय सीमा:

मील के पत्थर	समय सीमा
समस्त प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम कैप्सूल संचालन के लिए प्रशिक्षण योजना	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर
समस्त प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों के लिए 2 कैप्सूल संचालन के लिए प्रशिक्षण योजना	सभी नियुक्त प्रशिक्षुओं को पहले कैप्सूल के सूचीबद्ध के 15 दिनों के भीतर
प्रत्येक कैप्सूल के लिए एनआईयूए के परामर्श से प्रशिक्षण सामग्री तथा शिक्षण उद्देश्यों का	कैप्सूल के वास्तविक सूचीबद्ध से पहले

निर्धारण	
नियुक्त प्रशिक्षुओं को कैप्सूल 1 से सूचीबद्ध	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 3 महीने के भीतर
नियुक्त प्रशिक्षुओं को कैप्सूल 2 से सूचीबद्ध	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 7 महीनों के भीतर
नियुक्त प्रशिक्षुओं को कैप्सूल 3 से सूचीबद्ध	11 महीनों के भीतर
सभी नियुक्त प्रशिक्षुओं के लिए प्रदर्शन (एक्सपोजर) विजिट	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने के भीतर
ब्रिज/रेमेडियल कैप्सूल 4 का प्रतिपादन, यदि आवश्यक हो	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने के भीतर
नियुक्त कोच द्वारा संपर्क कार्यक्रम	पहले कैप्सूल के बाद प्रत्येक महीने
क्यूआईएस प्रारूप में प्रगति का प्रस्तुतीकरण	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद प्रत्येक 3 महीने
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 13 महीने के भीतर
**सभी कदम वार्षिक आधार पर दोहराए जाएंगे*	

कृते एवं की ओर से **राज्य**	कृते एवं की ओर से **प्रशिक्षण भागीदार**
हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर	हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम